तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज प्रथम अपील, मायादेवी बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं(अति0जिला कलक्टर धौ0) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (मु0संख्या 23/2023) (जीसीएमएस न0 2023/69)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
25.07.2023	अपीलान्ट अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अपीलान्ट ने यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा वांछित सूचना समय अवधि में उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण पेश की है। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर को अपील की प्रति भिजवाई जाकर उनसे टिप्पणी प्राप्त की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर ने अपने पत्र कमांक: अपील/आरटीआई./2023/293 दिनांक 20.07.2023 के द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी/रिपोर्ट में अवगत कराया है कि अपीलार्थी श्रीमती मायादेवी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने हेतु दिनांक 07.04.2023 को आवेदन भिजवाया गया। उक्त आवेदन आवक शाखा के कमांक 5456 दिनांक 20.04.2023 से प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु अपीलार्थी को कार्यालय के पत्रांक संपर्क/सूचना अधि./2023/223 दिनांक 30.05.2023 से पत्र लिखा गया कि आप द्वारा चाही गई सूचना 05 प्रतिलिपियों में है। पॉच पृष्टों की सूचना हेतु 2/–रू0 प्रतिलिपि शुल्क के हिसाब से राशि जमा कर सूचना प्राप्त कर सकते है जिसकी प्रति पत्र के साथ संलग्न है। अपीलार्थी के स्तर से प्रतिलिपि शुल्क अप्राप्त होने के कारण सूचना नहीं भिजवाई गई है। प्रतिलिपि शुल्क प्राप्त होने पर अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करा दी जायेगी। हमने लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी/रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचना प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रतिलिपि शुल्क 2/–रू0 प्रति पृष्ठ के हिसाव जमा नहीं कराये जाने के कारण नहीं भिजवाई गई है। अपीलार्थी को निर्धारित प्रतिलिपि शुल्क जमा कराने हेतु लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा पत्रांक संपर्क/सूचना अधि./2023/223 दिनांक 30.05.2023 से अपीलार्थी को पत्र लिख कर सूचित किया गया है। अपीलार्थी के स्तर से प्रतिलिपि शुल्क अप्राप्त होने के कारण सूचना नहीं भिजवाई गई है। अपीलार्थी निर्धारित प्रतिलिपि शुल्क जमा कराकर सूचना प्राप्त कर सकता है। अतः प्रथम अपील, अपीलान्ट इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। प्रकरण में आगे कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। निर्णय की प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो नम्बर से कम की जावे।	

अनिल कुमार अग्रवाल
जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)